राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–134/2013

रतनसिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर मुख्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश दिनांक 10.05.2011 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति कॉस्टेबल के पद पर दिनांक 02.06.1981 को हुई थी। अपीलार्थी को वर्ष 1990 में हैड कॉस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 23.04.1998 को सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गयी। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एक एफआईआर संख्या 241/2003 दिनांक 17.09.2003 को पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर में दर्ज की गयी, जिसके आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 23.09.2023 को निलम्बित किया गया। निलम्बन काल में अपीलार्थी को बार–बार निलम्बित किया गया और बार–बार बहाल किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष रिट याचिका संख्या 3916/2010 संस्थित की । माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को 6 बार निलम्बित करने एवं 5 बार बहाल करने के आदेशों को अधिकारों का दुरूपयोग मानते हुए अपीलार्थी को बहाल किये जाने का अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह कथन है कि अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज

फौजदारी प्रकरण संख्या 241/2003 के सम्बन्ध में न्यायालय, न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोट फॉर राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 05.01.2011 पारित कर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध के आरोप संदेह से परे साबित नहीं होना मानते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त किया था। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को तुच्छ आधारों पर अनिवार्य सेवानिवृत किया है। सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश पूर्णतः अनुचित है। अपीलार्थी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ष 1986–87 से 2003–04 तक अच्छा, बहुत अच्छा, एवं संतोषप्रद रहा है। अपीलार्थी को अपने सेवाकाल में 24 बार नकद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी को सेवाकाल में 6 बार परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया और एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से 4000 रूपये लिये जाने के फलस्वरूप एक वार्षिक वेतन वृद्धि भावी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया और एक बार सरकारी क्वार्टर खानी न करने के आरोप पर तीन वार्षिक वृद्धि भावी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी को जो भी दण्ड दिये गये हैं, वे सभी तुच्छ श्रेणी के हैं, जिनके आधार पर अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने के आलोच्य आदेश दिनांक 10.05.2011 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है एवं अपीलार्थी को सेवा में मानते हुए उसे सेवानिवृत्ति तक समस्त लाभ प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृति राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार गठित आन्तरिक स्क्रीनिंग कमेटी एवम् रिव्यू कमेटी की अनुशंषा पर जनहित में दी गयी है, जिसमें कमेटी ने नियमानुसार अपीलार्थी के पूरे सेवाकाल के रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन एवं परीक्षण किया गया है। गठित कमेटी द्वारा अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति की अनुशंषा पर सेवानिवृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करना, अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना, कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ही गहनता से विचार करके ही अनिवार्य सेवानिवृति दी गयी है जो कि पूर्णतः नियम सम्मत है। अपीलार्थी को जो भी पुरस्कार दिये गये हैं, वे सामान्य श्रेणी के है जो कि सामूहिक रूप से आम पुलिसजन को दिये जाते हैं। कोई विशेष पुरस्कार नहीं दिया गया है। अपीलार्थी का सेवा रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहा है, उसको सेवाकाल के दौरान मिले दण्डों के आधार पर

एवं कार्य करने की शैली के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृति राज्यहित व जनहित में दी गयी है। अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति राजकीय नियमों के अनुसार ही जनहित में दी गयी है। अपीलार्थी की नियुक्ति तिथी दिनांक 02.06.1981 होने से अपीलार्थी को नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत किया गया है जो कि नियमानुसार सही है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के कुल सेवाभिलेख को ठीक प्रकार से नहीं देखा गया है। अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन वर्ष 1986–87 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने तक अपीलार्थी का वार्षिक कार्य मुल्यांकन अच्छा, बहुत अच्छा एवं संतोषप्रद रहा है एवं अपीलार्थी को समय–समय पर नकद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र भी दिये गये हैं, जिन पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो फौजदारी प्रकरण संस्थित हुआ था, उस पर अपीलार्थी को दोषमुक्त करार कर दिया गया। ऐसे में उक्त मामले में विचार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के विरूद्ध जो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, वह तुच्छ प्रकृति की थी, जिनके आधार पर अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान नहीं की जा सकती थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को समय–समय पर पदोन्नति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य है कि अपीलार्थी का कार्य उत्तम रहा है। ऐसे में अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RLR 2007(1) 192 S.B. Civil Writ Petition no. 4150/2001 Prem Chand Chauhan V/s RSRTC & anr. में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2006 प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि जहां कार्मिक का सेवाभिलेख साफ–सुथरा रहा हो और गत पांच वर्षों में उसे दो पदोन्नति भी प्रदान की गई हो, ऐसी स्थिति में केवलमात्र इस आधार पर कि कार्मिक ने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, Dead Wood होना नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी की ओर से न्यायिक दृष्टांत AIR 2001 SUPREME COURT 1109 State of Gujarat, Appellant v. Umedbhai M. Patel अपील में प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि जहां कार्मिक को प्रतिकूल टिप्पणियां होने के बाद भी पदोन्नति प्रदान की गई है तो ऐसा तथ्य कार्मिक के पक्ष में देखा जाएगा। अपीलार्थी की ओर से अन्य न्यायिक दृष्टांत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 783/2011 भंवर

लाल लमरोर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2013 प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह माना है कि जहां सेवाभिलेख उत्तम रहा हो, वहां पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि राजस्थान सरकार काार्मिक विभाग द्वारा दिशा–निर्देश दिनांक 20.07.2001 जारी किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि जहां प्रतिकूल टिप्पणियां एवं आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, वहां पर ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जायें। अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के समस्त सेवाभिलेख का भली–भांति परिक्षण एवं अवलोकन किये बगेर ही स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपीलार्थी को सेवानिवृत्त किये जाने की अभिशंषा की गई।

5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को नियमानुसार गठित आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी की अनुशंषा पर जनहित में सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें कमेटी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्राप्त नियमित शास्तियों का होना अंकित किया है। आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपीलार्थी के संबंध में निम्न अनुशासनिक कार्यवाहीयों का विवरण अंकित किया गया है:–

    1. 142/22.8.92. परिनिन्दा 17 सीसीए – स्वेच्छा से गैर हाजिर
    2. 2208/30.9.99, परिनिन्दा 17 सीसीए – आरोप में अनसधान में लापरवाही बरने के
    3. 2903/30.12.99, परिनिन्दा 17 सीसीए – अनसधान में लापरवाही बरने के आरोप में
    4. 2921/31.12.99, परिनिन्दा 17 सीसीए – आरोप में अनसधान में लापरवाही बरने के आरोप में
    5. 179/21.2.00, एक वार्षिक वे.वृ. बि. भावी प्रभाव 17 – सीसीए व्यक्तिगत लाभ के लिए श्री भंवर लाल से 4000 रूपये प्राप्त करना
    6. 1128/30.6.00, परिनिन्दा 17 सीसीए – स्वेच्छापूर्वक गैरहाजिर
    7. 361/28.2.01, परिनिन्दा 17 सीसीए – बीट क्षेत्र में गश्त न कर आदेश की अवेहलना कर ड्यूटी के समय सोते रहना
    8. 1178/31.7.07, तीन वार्षिक वे.वृ. भावी प्रभाव के – 16 सीसीए – सरकरी आवास पर अनाधिकृत कब्जा करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवेहलना करना

6. इस प्रकार हम पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में आंतरिक स्क्रीनिंग द्वारा समस्त सेवाभिलेख पर गौर करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने की अभिशंषा की है। अपीलार्थी को आठ बार विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दण्डित किया जा चुका है। यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को केवल लघु शास्तियां ही दी गई हो, बल्कि अपीलार्थी को एक बार सीसीए नियम–16 की कार्यवाही में दण्डित किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी के समस्त रिकॉर्ड को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने विषयात्मक संतुष्ठी के आधार पर निर्णय लिया है, उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अनिवार्य सेवानिवृत्त के प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप या पुर्नविलोकन किया जा सकता है, इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय 1992(2) एस.सी.सी. पेज 299 बैकुण्ठनाथ

दास बनाम मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरीपदा के प्रकरण में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैंः–

i. अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई दण्ड नहीं है, यह कार्मिक पर कोई दाग नहीं होता है ना ही यह उसके दुर्व्यवहारी होने का अनुमान इंगित करने वाला होता है।

ii. इस हेतु सरकार को यह राय कायम करनी होती है कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करना लोकहित में है व उक्त राय के आधार पर आदेश पारित करना होता है। यह आदेश सरकार के विषयात्मक संतुष्टि (Subjective Satisfaction) के आधार पर जारी किया जाता है।

iii. अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का कोई स्थान या भूमिका नहीं होती है परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त आदेश न्यायिक संवीक्षा से बाहर है। न्यायालयों द्वारा सेवानिवृत्ती के आदेश की समीक्षा अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं की जा सकती है परन्तु यदि आलोच्य आदेश (A) दुर्भावनापूर्ण हो (B) बिना साक्ष्य आधारित हो (C) इस प्रकार का मनमाना हो कि युक्तियुक्त व्यक्ति भी यह अनुमान/राय बना ले कि उक्त आदेश मनमाना है अर्थात् दुराग्रहपूर्ण है।

iv. सरकार या रिव्यू कमेटी इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कार्मिक का सम्पूर्ण सेवा रिकॉर्ड विचार में लेगी व उक्त रिकॉर्ड में भी बाद के वर्षो के रिकॉर्ड पर ज्यादा महत्व प्रदान किया जायेगा। इस रिकॉर्ड में कार्मिक का गोपनीय प्रतिवेदन/ चरित्र प्रतिवेदन (अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही) शामिल होते हैं। यदि किसी कार्मिक को किन्हीं प्रतिकूल प्रविष्टियों के उपरान्त भी उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है तो ऐसी प्रविष्टियां अपनी प्रतिकूलता/विष–डंक खो देती है, वह भी उस स्थिति में अधिक जहां पर कि ऐसी पदोन्नति मेरिट पर, ना कि वरिष्ठता के आधार पर आधारित हो।

v. कोई न्यायालय केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को अपास्त नहीं कर सकता कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु जिन प्रतिकूल रिमार्क/प्रविष्टियों को विचारणार्थ लिया गया था, वे रिमार्क/प्रविष्टियां कर्मचारी को संसूचित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार कोई न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में हस्तक्षेप आधार संख्या (iii) में वर्णित आधार पर ही कर सकता है।

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट है कि सेवानिवृति के मामले में सरकार को लोकहित में अपनी राय कायम करनी होती है, जो कि विषयात्मक संतुष्टि के आधार पर कायम की जानी होती है और ऐसा करने के लिए संपूर्ण सेवाभिलेख पर विचार करना होता है।

8. अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई है, परंतु उसके आधार पर अपीलार्थी के पुराने रिकॉर्ड को Wipe Out होना नहीं माना जा सकता है और कार्मिक का समस्त सेवाभिलेख देखा जाना उचित है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अच्छा, बहुत अच्छा और संतोषप्रद अवश्य अंकित है, परंतु अपीलार्थी के सेवाभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आठ बार शास्तियां प्रदान की गई हैं। ऐसे में सेवाभिलेख पर गौर करने के पश्चात यदि आंतरिक स्क्रींनिग कमेटी ने अपीलार्थी के संबंध में यह विषयात्मक संतुष्टि कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंषा की है तो उसे गलत होना नहीं माना जा सकता है। उच्चस्तरीय समिति ने भी अपीलार्थी के समस्त सेवाभिलेख पर गौर कर अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति योग्य माना है। अपीलार्थी की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत RLR 2007(1) 192 S.B. Civil Writ Petition no. 4150/2001 Prem Chand Chauhan V/s RSRTC & anr. में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2006 प्रस्तुत किया गया है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि याचि का सेवा रिकॉर्ड साफ–सुथरा रहा है, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में याचि का अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाना उचित नहीं माना है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी का सेवाभिलेख स्वच्छ नहीं रहा है, क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध समय–समय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय का प्रकरण अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है। अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण AIR 2001 SUPREME COURT 1109 State of Gujarat v. Umedbhai M. Patel अपील प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि जहां याचि को पदोन्नति प्रदान की गई हो तो ऐसे तथ्य याचि के पक्ष में देखे जाएंगे। हमारे मत में अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान किये जाने के पश्चात भी अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैं। ऐसे में अपीलार्थी को माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अपीलार्थी की ओर से अन्य न्यायिक दृष्टांत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 783/2011 भंवर लाल लमरोर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2013 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचि का वार्षिक कार्य

मुल्यांकन प्रतिवेदन अच्छा होना माना है। इस आधार पर याचि का अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश निरस्त किया गया है। वर्तमान प्रकरण के तथ्य भिन्न है, क्योंकि अपीलार्थी की केवल वार्षिक कार्य मुल्यांकन को ही एकल रूप से नहीं देखी जा सकती है, बल्कि समस्त सेवाभिलेख को समग्र रूप से देखा जाना होता है। अपीलार्थी के समस्त सेवाभिलेख को देखें तो अपीलार्थी के विरूद्ध समय–समय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय का उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है।

9. हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी का जो सेवाभिलेख रहा है, उसमें अपीलार्थी का दागी होना, अकर्मण्य होना एवं संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाला कार्मिक होना माने जाने से अपीलार्थी को अवांछित व्यक्ति (dead wood) मानते हुए वह अपनी उपयोगिता खो चुका मानते हुए नियमानुसार स्क्रीनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी द्वारा विषयात्मक संतुष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की अनुशंषा की है, जिसमें कोई विधि–विरूद्धता नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार हम पाते हैं कि अपील बलहीन एवं सारहीन है। अतः अपील एतत्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)